43

नवीन प्रकरण :- 3140/2018

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निगरानी - 3140/2018/देवास/भू.रा

निगरानी कमांक /2018

आज दिनांक 23/5/18 को प्रेषित उज्जैन से श्री. अनिल कुमार पंडित द्वारा प्रस्तुत। 23/5/18

राजेश कुमार पिता प्रहलाद दास होलानी
निवासी कॉटाफोड तहसील सतवास
जिला देवास म.प्र. ------प्रार्थी

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन तर्फ पटवारी महोदय
पटवारी हल्का नं. 37 खातेगॉव
जिला देवास म.प्र. -------प्रतिप्रार्थी

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 मध्यप्रदेश भू. राजस्व संहिता के तहत

महोदय,

प्रार्थी की ओर से अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र. के राजस्व अपील कमांक 703/अपील/2017–18 मे पारित आदेश दिनांक 19/04/2018 जिसमें प्रार्थी कि अपील निरस्त कर दी गई जिससे असन्तुष्ट एवं दुखी होकर निम्न आधारो पर निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि :–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण –

यह कि पटवारी हल्का नं. 37 तहसील खातेगॉव जिला देवास म.प्र. द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय खातेगॉव के समक्ष अतिकमण रिर्पोट प्रस्तुत की गई है जिसमे उल्लेखित किया गया की अपीलांट के द्वारा शासकीय नजूल भूमि सर्वे कं. 757 रकबा 0.210 हे. मे से 12.6X20 = 262 वर्ग फीट भूमि पर पक्की दुकान एवं मकान बना कर अन्य व्यक्ति को विकय कर दिया है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय खातेगॉव के द्वारा अपीलांटस को धारा 248 म.प्र.भू.रा.सं. के तहत कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया। जिसका जवाब अपीलांट के द्वारा विधिवत प्रस्तुत कर बताया कि अपीलान्ट का शासकीय भूमि पर कोई निर्माण अथवा आधिपत्य नही है। उसका किसी भी शासकीय भूमि से कोई लेना–देना नही है। माननीय अधीनस्थ विचाराण न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील खातेगॉव के द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा अपीलांट को साक्ष्य का अवसर दिये बिना प्रकरण मे पुरानी तारीख 14.08.2017 को अपीलांट का निर्माण तोड़ने बावद एवं अपीलांट पर 50,000/– रूपये अर्थदण्ड का आदेश पारित किया गया जिसकी सूचना तहसील न्यायालय के द्वारा अपीलांट को दिनांक 22.08.2017 को दी गई।

माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील खातेगॉव के द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.08.2017 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर अपीलान्ट के द्वारा माननीय

3

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी 3140/2018/देवास/भू0रा0

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-10-18	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 703/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 19-4-18 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का नं0 37 तहसील खातेगांव द्वारा तहसीलदार खांतेगांव के समक्ष अतिक्रमण रिर्पोट प्रस्तुत की गई जिसमें उल्लखित किया गया कि आवेदक द्वारा शासकीय नजूल भूमि सर्वे नं0 757 रकबा 0.210 हैक्टर में से 12.6×70 = 262 वर्गफीट भूमि पर पक्की दुकान एवं मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है । तहसीलदार द्वारा पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदक को संहिता की धारा 248 के तहत कारण बताओ सूचनपत्र जारी किया गया । जिसका जबाव आवेदक द्वारा प्रस्तुत कर बताया गया कि आवेदक का शासकीय भूमि से कोई लेना-देना नहीं है । तदुपरांत तहसीलदार द्वारा प्रकरण में दिनांक 14-8-17 को आदेश पारित करते हुए आवेदक का निर्माण तोड़ने एवं आवेदक पर 50000/- रूपये अर्थदंड आरोपित किया गया । इस आदेश से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी खातेगांव के समक्ष अपील क्रमांक 48/अपील/2016-17 प्रस्तुत की गई जो उन्होंने आदेश दिनांक 17-1-18 द्वारा निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश से दुखी होकर आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की गई जो उन्होंने यह मानते हुए कि आवेदक द्वारा विवादित भूमि को स्वयं का होना नहीं बताया है आवेदक की अपील आलोच्य आदेश दिनांक 19-4-18 द्वारा निरस्त की गई । अपर आयुक्त के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में	

(3)

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो निगरानी मेमो में उल्लिखित किये गये हैं । निगरानी मेमो में मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि स्वयं की होने के संबंध में रजिस्टर्ड दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये गये थे जिनको देखे बिना आदेश पारित किया गया है जो निरस्ती योग्य है । यह भी कहा गया कि विवादित भूमि के स्वयं की होने के संबंध में वर्ष 1927 से आज दिनांक तक के दस्तावेज पेश किया गया किंतु उन दस्तावेजों पर कोई विचार अधीनस्थ न्यायालयों ने नहीं किया है तथा यह मानने में भूल की है कि विवादित भूमि को आवेदक द्वारा स्वयं की होना नहीं बताया है ।

यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक को प्रकरण में सुनवाई तथा साक्ष्य का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया है, जो निरस्ती योग्य है । यह भी कहा गया कि विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक को दिए गए सूचनापत्र से स्पष्ट है कि का अपीलांट का किसी शासकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है । विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत कई वर्षों पुराने दस्तावेजों के संबंध में अपने आदेश में कोई उल्लेख नहीं किया है जबकि वर्ष 1925 के शासकीय दस्तावेजों पर अविश्वास करने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है । यह बताया गया कि आवेदक द्वारा वर्ष 1925-26 के खसरे की प्रति पेश की गई थी जिसको देखने से स्पष्ट है कि सर्वे क्रमांक 757 कस्बा खातेगांव स्थित भूमि आबादी के रूप में दर्ज है तथा उक्त भूमि पर प्रेमराज जी की धर्मशाला बनी होने का उल्लेख है उसके बावजूद भी उक्त भूमि को शासकीय भूमि बताकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है ।

यह तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के द्वारा जो कथन लिए गए हैं उनको देखने से स्पष्ट है कि उक्त कथन का कुछ हिस्सा टाईप किया गया है तथा कुछ हिस्से में हाथ से रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है । जिससे स्पष्ट है कि उक्त कथन विचारण न्यायालय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी 3140/2018/देवास/भू0रा0

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	के समक्ष नहीं हुए हैं । यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य को भी अनदेखा किया है कि प्रश्नाधीन भूमि नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत होने से तहसीलदार न्यायालय को संहिता की धारा 248 के तहत कार्यवाही का अधिकार नहीं है तथा 15-8-1950 के पूर्व के आधिपत्य के कारण संहिता की धारा 248 के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 248 के तहत अतिक्रमण सिद्ध करने का भार शासन पर है जो इस प्रकरण में नहीं है । पटवारी द्वारा अतिक्रमण के संबंध में सीमांकन किए जाने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आबादी भूमि के सबंध में कानून से भिन्न अपनी व्यक्तिगत परिभाषा के आधार पर आदेश पारित किया गया है, जो निरस्ती योग्य है । यह तर्क भी दिया गया कि प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1925-26 के खसरे में प्रेमराज पिता चुन्नीलाल के नाम से दर्ज रही है तथा प्रेमराज पिता चुन्नीलाल की मृत्यु के पश्चात उनके वारिस पुत्र छगनलाल का नाम दर्ज 1945-46 के नगर पालिका रिकार्ड में दर्ज है तथा उक्त भूमि पर छगनलाल पिता प्रेमराज की धर्मशाला बनी होने का उल्लेख है । छगनलाल की मृत्यु के पश्चात वर्ष 1973 में उनके पुत्र देवकुमार का नाम दर्ज किया गया है तथा देवकुमार की मृत्यु के बाद उनके वारिस शम्भूकुमार, अनीता एवं श्रीमति निशा का नाम नगरपालिका रिकार्ड में दर्ज किया गया है । जिसका भवन कर भी नियमित रूप से जमा किया गया है । शम्भुकुमार, श्रीमती अनीता एवं श्रीमती निशा के द्वारा उक्त भूमि में से 2121 वर्गफीट भाग दिनांक 27-12-10 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के माध्यम	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	से प्रार्थी राजेश को विक्रय की गई है । उक्त रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को शून्य अथवा फर्जी घोषित करने का वैधानिक अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । यह भी कहा गया कि देवकुमार द्वारा भी अपने जीवनकाल में दिनांक 16-4-75 को रजिस्टर्ड विक्रयत्र द्वारा राधेश्याम पिता कुंजीलाल को उक्त भूमि का कुछ भाग विक्रय किया गया । रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से स्पष्ट है कि विवादित भूमि वर्ष 1937 के पूर्व से निजी भूमि के रूप में शासकीय रिकार्ड में दर्ज रही है और उक्त रिकार्ड पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । उक्त आधारों पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है । 4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही के उपरांत आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि का अतिक्रामक मानते हुए आदेश पारित किया है जिसकी पुष्टि दोनों अपीलीय न्यायालयों ने की है । प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं, जिनमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है । विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को स्थिर रखे जाने का निवेदन करते हुए निगरानी निरस्त किया जाने का अनुरोध किया गया । 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का सूक्ष्म अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी खातेगांव द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण रिपोर्ट पर से आवेदक के विरूद्ध तहसीलदार खातेगांव द्वारा संहिता की धारा 248 के तहत कार्यवाही की गई है । पटवारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में खातेगांव स्थित भूमि सर्वे नं0 757 की नजूल भूमि पर आवेदक को अतिक्रामक के रूप में बताया गया है । इस संबंध में अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1925-26 के खसरे में आबादी भूमि के रूप में दर्ज है तथा उक्त भूमि पर	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी 3140/2018/देवास/भू0रा0

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रेमराज पिता चुन्नीलाल की धर्मशाला बनी होने का उल्लेख भी है । अभिलेख में आवेदक द्वारा प्रस्तुत कस्बा खातेगांव स्थित आबादी भूमि के समस्त सर्वे नंबरों की सूची संलग्न है जिसको देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन सर्वे नंबर 757 आबादी भूमि के रूप में शासकीय अभिलेख में दर्ज रही है । इस संबंध में पटवारी खातेगांव द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष कथन में स्पष्ट उल्लेख किया है कि उक्त भूमि वर्ष 1925 की मिसल बंदोवस्त में आबादी भूमि के रूप में दर्ज है । उसके द्वारा कथन में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्तमान चालू खसरे में उक्त भूमि नज़ूल भूमि के रूप में किस तरह अथवा किस आदेश से दर्ज हो गई है उसे कोई जानकारी नहीं है । हल्का पटवारी द्वारा यह भी बताया गया है कि उसके पास भूमि आबादी मद से नज़ूल मद में दर्ज होने के संबंध में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है । अभिलेख में संलग्न पटवारी प्रतिवेदन दिनांक 13-10-2016 में प्रश्नाधीन सर्वे नं0 757 रकबा 0.210 हैक्टर वर्तमान पटवारी कम्प्यूटरीकृत रिकार्ड में नज़ूल मद में तथा पटवारी हस्तलिखित खसरा में धर्मशाला नज़ूल मद में दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि पटवारी द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से एवं बिना किसी आधार के प्रश्नाधीन भूमि को आबादी मद से हटाकर नज़ूल के रूप में दर्ज कर दिया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है । 6/ अभिलेख में नगरपालिका (Municipality) खातेगांव का रिकार्ड भी संलग्न है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पूर्व में प्रेमराज पिता चुन्नीलाल के नाम से दर्ज रही है तथा प्रेमराज पिता चुन्नीलाल की मृत्यु के पश्चात वर्ष 1945-46 के नगरपालिका (Municipality) खातेगांव के रिकार्ड में उनके पुत्र छगनलाल का नाम दर्ज किया गया तथा छगनलाल की मृत्यु के पश्चात वर्ष 1973 में उनके पुत्र देवकुमार का नाम दर्ज किया गया है तथा	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	देवकुमार की मृत्यु के बाद उनके वारिस शम्भूकुमार, अनीता एवं श्रीमति निशा का नाम नगरपालिका रिकार्ड में दर्ज किया गया है । जिससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि शासकीय भूमि न होकर वर्ष 1925-26 से निजी भूमि होकर उसका उपयोग-उपभोग प्रेमराज व उसके वारिसगण करते रहे हैं । यहां यह भी स्पष्ट है कि आबादी भूमि पर काबिज भूमिस्वामियों का पृथक-पृथक नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज ना होकर नगरपालिका (Municipality) रिकार्ड में दर्ज होता है । राजस्व अभिलेखों में तो सम्पूर्ण भूमि आबादी भूमि के रूप में दर्ज होती है । 7/ प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि वर्ष 1937 के पूर्व छगनलाल पिता प्रेमराज के द्वारा उक्त विवादित भूमि में से कुछ भाग श्रीमती चंद्रप्रभा पति मंगेश रेंगे को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय किया गया था । इसी प्रकार छगनलाल कि मृत्यु के बाद उनके पुत्र देवकुमार जी के द्वारा अपनी जीवित अवस्था में दिनांक 16-4-1975 को उक्त भूमि में से कुछ भाग राधेश्याम पिता कुंजीलाल राठौर को विक्रय किया गया था । इसी प्रकार शम्भू कुमार, श्रीमती अनिता एवं श्रीमती निशा के द्वारा उक्त भूमि अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग लोगों को विक्रय की गई है । शम्भुकुमार, श्रीमती अनीता एवं श्रीमती निशा के द्वारा उक्त भूमि में से 2121 वर्गफीट भाग दिनांक 27-12-10 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के माध्यम से प्रार्थी राजेश को विक्रय की गई है । उक्त सभी अंतरण कई वर्षों पूर्व रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के माध्यम से किए गए हैं । रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों को शून्य अथवा फर्जी घोषित करने का वैधानिक अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । उक्त से स्पष्ट है कि विवादित भूमि वर्ष 1937 के पूर्व से निजी भूमि के रूप में शासकीय रिकार्ड में दर्ज रही है और उक्त रिकार्ड पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । अत: प्रकरण के समग्र तथ्यों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में पारित अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अवैधानिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से स्थिर नहीं रखे जा सकते । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी 3140/2018/देवास/भू0रा0

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-4-2018, अनुविभागीय अधिकारी, खातेगांव द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-1-2018 तथा तहसीलदार, खातेगांव जिला देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-8-17 निरस्त किए जाते हैं । उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो । (एम.गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर	